

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन भोपाल 462004

क्रमांक- 214 / 203 / बजट / 2018
प्रति,

भोपाल, दिनांक- 6/2/2019

प्राचार्य,
समस्त शासकीय महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश

विषय- संबद्धता शुल्क 2018-19 के लिए बजट आवंटन के संबंध में।

(1) उपरोक्त विषय में ज्ञात हो कि पत्र क्रमांक 842/230/बजट/18, दिनांक 27.04.2018 द्वारा वर्ष 2018-19 के लिए संबद्धता शुल्क एवं वर्दी हेतु निर्धारित प्रपत्र में मांग पत्र भेजने हेतु लिखा गया था।

(2) विश्वविद्यालयों द्वारा विगत वर्षों में संबद्धता शुल्क की दर में वृद्धि की गई है तथा मांग के अनुसार बजट में पर्याप्त राशि उपलब्ध नहीं है। महाविद्यालयों द्वारा विद्यार्थियों से प्राप्त फीस महाविद्यालय के पास ही जमा रहती है।

(3) जिन महाविद्यालयों द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जानकारी प्रदाय की गई उनको संबद्धता शुल्क हेतु उपलब्ध बजट के आधार पर महाविद्यालयों की मांग अथवा अधिकतम रूपये 3.00 लाख जो कम हो, आवंटन जारी किया गया तथा 3.00 लाख से अधिक मांग के संबंध में शेष राशि स्वयं के स्रोत से वहन करने हेतु लिखा गया। वर्तमान में राशि उपलब्ध न होने के कारण शेष महाविद्यालयों को आवंटन जारी नहीं किया जा सका।

(4) उपरोक्त निर्देश के उपरांत भी जिन महाविद्यालयों को आवंटन जारी किया जा चुका है। पुनः अतिरिक्त राशि की मांग की जा रही है, जो उचित नहीं है। वर्तमान में योजना क्रमांक 0798-42-007 सहायक अनुदान (संबद्धता शुल्क भुगतान) बजट शीर्ष में राशि उपलब्ध नहीं है।

(5) अतः उपरोक्त स्थिति में जिन महाविद्यालयों को राशि आवंटित नहीं की गई है तथा जिनको मांग की अपेक्षा कम राशि आवंटित हुई है, संबद्धता शुल्क की राशि स्वयं के स्रोत/जनभागीदारी इत्यादि से नियमानुसार भुगतान सुनिश्चित किया जावे।

“आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित”

संचालक (वित्त)

उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक-

पृ0क0- 215 / 203 / बजट / 2018
प्रतिलिपि-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन मंत्रालय भोपाल
2. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
3. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल
4. समस्त अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
5. समस्त संबंधित शासकीय अग्रणी महाविद्यालय, मध्यप्रदेश
6. समस्त संबंधित कोषालय/उपकोषालय अधिकारी मध्यप्रदेश।

संचालक (वित्त)

उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश